"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025 — फाल्गुन 27, शक 1946

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, 1946)

क्रमांक–4489/वि.स./विधान/2025.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) जो सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2025)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।
   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम, 1899 का 2) का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए।

अनुसूची 1—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1—क में, —
   अनुच्छेद 13 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"13(क) **बैंक प्रत्याभूति .** किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभू करने के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.	अधिकतम पच्चीस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए, रकम का 0.25 प्रतिशत."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) एक केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम में कतिपय संशोधन एवं नये प्रावधान के संबंध में उद्देश्य एवं कारण इस प्रकार है, –

मूल अधिनियम की अनुसूची 1–क में, बैंक प्रत्याभूति, किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिये प्रतिभू के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख का उल्लेख नहीं होने के कारण, स्टाम्प शुल्क की वसूली में असमंजस की स्थिति होती है। अतएव इसे अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 13 क में अंतः स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अतएव, उपरोक्त उल्लिखित परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त अनुसूची में अनुच्छेद 13 क का अंतः स्थापन प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 05 मार्च,2025

ओ. पी. चौधरी
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1—क का सुसंगत उद्धरण :—

	लिखतों का वर्णन	**उचित स्टाम्प शुल्क**
अनुच्छेद 12	पंचाट, अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश पर किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा लिखित में दिया गया कोई विनिश्चय, जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है —	
	(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है — रकम या मूल्य 10,000/—रूपये से अधिक नहीं है;	वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक—15) पर लगता है।
	(ख) जहां कि यह 10,000/—रूपये से अधिक है—	
	(एक) प्रथम 10,000/— रूपये पर;	वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक—15) पर लगता है।
	(दो) 10,000/— रूपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000/— रूपये या उसके भाग के लिये;	दस रूपये।
अनुच्छेद 13	***************************	अनुसूची 1 (संघ सूची का विषय)

दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.